रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 2010/अग्रहायण 22, 1932

No. 669] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 2010/AGRAHAYANA 22, 1932

विदेश मंत्रालय
(सी पी वी प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 964(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007 और विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 का अधिक्रमण करते हुए, इन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले किया गया अथवा करने का लोप किया गया, एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी, अधीक्षक और सहायक (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पद) के पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, (समूह 'ख'-राजपत्रित और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **अनुप्रयोज्यता.**—ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

5. **निरर्हता :**—वह कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की व्यक्ति और दूसरे पक्षकार के संबंध में लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमति है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा किया जाना जरूरी या अपरिहार्य है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में कही गयी कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड, ग्रेड पे व वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या योजित वर्षों के सेवा लाभ स्वीकार्य हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी	320* (2010) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित अनअनुसचिवीय	पे बैण्ड - 2 9300 - 34800 रु. + ग्रेड पे 4800/- रुपए	गैर - चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु व शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती का तरीकाः सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा 100%	पदोन्नतिः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे अधीक्षक (पे बैण्ड -2, 9300 - 34800 रु.+ ग्रेड पे 4600 रु.) जिन्होंने इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो जिसके न होने पर अधीक्षक और सहायक (पे बैण्ड 2; 9300 - 34800 रु. + ग्रेड पे 4200/- रु.) के ग्रेड में छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा पूरी की हो। टिप्पणी 1. : जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। टिप्पणी 2. : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(13)	(14)
समूह 'ख' पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार किये जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति :- 1. संयुक्त सचिव और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रभारी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उप सचिव - सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अधीक्षक	245* (2010) (* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित अननुसचिवीय	पे बैण्ड - 2 9300 - 34800 रु. + ग्रेड पे 4600/- रुपए	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

(11)	(12)
पदोन्नति द्वारा 100%	पदोन्नतिः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पे बैण्ड -2, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड पे 4200/-रुपए) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो। टिप्पणी 1: संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार

	पर सहायक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में अर्हकारी सेवा तीन वर्ष ही रहेगी। टिप्पणी 2: जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। टिप्पणी 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार किये जाने के लिए) 1. संयुक्त सचिव और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रभारी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उप सचिव - सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक	428* (2010) (* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' अराजपत्रित अननुसचिवीय	पे बैण्ड - 2 9300 - 34800 रु. + ग्रेड पे 4200/- रु.	चयन	लागू नहीं	आयु-सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सम्मितलत स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमों के अनुसार होगी।

(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सम्मिलित स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमों के अनुसार होंगी।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
50% पदों की भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाएगी 25% पदों की भर्ती सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी 25% पदों की भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी	पदोन्नतिः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रवर श्रेणी लिपिक (पे बैंड 5200-20200 रु. + ग्रेड पे 2400) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो। टिप्पणी 1: संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में अर्हकारी सेवा तीन वर्ष ही रहेगी। टिप्पणी 2: जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। टिप्पणी 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा। समिति विभागी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हताः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे प्रवार श्रेणी लिपिक, जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो तथा जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि हो अथवा मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि हो।

(13)	(14)
समूह 'ख' पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार किये जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. संयुक्त सचिव और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रभारी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उप सचिव - सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. V.IV/801/2/2010]

मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C P V Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2010

G.S.R. 964(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2007 and the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the posts of Passport Granting Officer, Superintendent and Assistant (Group 'B' Gazetted and Non-gazetted posts) in the Central Passport Organization under the Ministry of External Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'B' Posts – Gazetted and Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability. – These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale - The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the above said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the above said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the

marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band Grade Pay or Pay scale	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6
1. Passport Granting Officer	320* (2010) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group'B' Gazetted Ministerial	Pay Band 2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4800	Non-Selection	Not applicable

Age limit for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and Educational qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	100 percent by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion Superintendent in Pay Band 2; Rs.9300-34800 plus Grade pay of Rs.4600) of the Central Passport Organization with two years' regular service in the grade failing which Superintendent with six years' combined regular service in the grade of Superintendent and Assistant in (Pay Band 2; Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200). Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization – Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members 4. Deputy Passport Officer of the Central Passport Organization - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

1	2	3	4	5	6
2. Superintendent	245* (2010) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Pay Band 2; Rs.9300-34800 plus Grade pay Rs. 4600	Selection	Not-applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	100 percent by promotion

12	13	14
PROMOTION Assistant in Pay Band 2; Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200) of the Central Passport Organization with five years' regular service in the grade. Note 1: The eligibility service shall continue to be three years in the case of persons holding the post of Assistant on regular basis on the date of notification of the revised rules. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization – Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members 4. Assistant Passport Officer of the Central Passport Organization – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

1	2	3	4	5	6
3. Assistant	428* (2010) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Pay Band 2; Rs.9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Age limit shall be such as may be notified by the Government from time to time in the Rules of Combined Graduate Level Examination.	The Educational qualifications shall be such as may be notified by the Government from time to time in the Rules of Combined Graduate Level Examination.	Not applicable	Two years for Direct Recruits and Promotees	50 percent by Promotion. 25 percent by Promotion through Limited Departmental Competitive Examination 25 percent by Direct recruitment.

12	13	14
PROMOTION Upper Division Clerks in Pay Band-1; Rs.5200-20200 with Grade pay of Rs.2400 of the Central Passport Organization with ten years' regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion or confirmation: 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

4742 GI/10—4

Note 1 : The eligibility service shall continue to be eight years in respect of persons holding the post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of notification of the Revised Rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Eligibility for Limited Departmental Competitive Examination: Upper Division Clerks of the Central Passport Organization with eight years of regular service in the grade and possessing a Bachelor's Degree from a recognized University or	Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization – Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members 4. Assistant Passport Officer of the Central Passport Organization - Member	

Association of Indian Universities recognized degrees of foreign Universities.		

[F. No. V.IV/801/2/2010]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.